

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड,  
"खनिज भवन" भोपालपानी, देहरादून।  
(E-mail id - dir.ukdgm@gmail.com)

संख्या /उप0ख0(ईनि)-V /भू0खनि0निदेशा0 /2026-27,  
कार्यालय आदेश

दिनांक 30 अप्रैल, 2026

राज्य के चार मैदानी जनपदों में अवैध खनन/अवैध खनिज परिवहन के प्रभावी रोकथाम एवं राजस्व वृद्धि हेतु Development and Maintenance of Mining Digital Transformation & Surveillance System (MDTSS) लागू की गयी है, जिसके अन्तर्गत राज्य के सभी जनपदों में स्वीकृत खनन पट्टों/अनुज्ञाओं/रिटेल भण्डारणों/स्टोन क्रेशरों/स्क्रीनिंग प्लांटों/मोबाईल स्टोन क्रेशरों/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांटों/पल्वाराईजर/हॉट मिक्स/रेडिमिक्स प्लांटों आदि में स्थापित कम्प्यूट्राईज्ड धर्मकांटा एवं सी0सी0टी0वी0 कैमरा को MDTSS सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट किया जाना है। इस सम्बन्ध में कार्यालय की विज्ञप्ति दिनांक 16 अप्रैल, 2026 के द्वारा प्रथम फेज में स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांटों में स्थापित कम्प्यूट्राईज्ड धर्मकांटा (Weighbridges) एवं सी0सी0टी0वी0 कैमरा को इंटीग्रेट किये जाने हेतु सूचना प्रकाशित की गयी थी तथा इस हेतु MDTSS सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन Mineral Management (URL:https/ mms.ukmdtss.in) की ए0पी0आई0 के विवरण एवं तकनीकी मानक की सूचना विभागीय वेबसाईट www.dgm.uk.gov.in पर अपलोड की गयी, जिसके अनुसार प्रथम फेज में उक्त योजना दिनांक 01 मई, 2026 से प्रभावी होनी थी, जो अब 04 मैदानी जनपदों में दिनांक 04 मई, 2026 को मध्यरात्रि 12.00 बजे से तथा पर्वतीय जनपदों में दिनांक 15 मई, 2026 की मध्यरात्रि 12.00 बजे से प्रभावी होगी तथा उक्त तिथि से केवल इंटीग्रेटेड कम्प्यूट्राईज्ड धर्मकांटा (Weighbridges) एवं सी0सी0टी0वी0 कैमरा युक्त स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांटों को ही ई-रवन्ना निर्गत होंगे।

आज्ञा से,  
निदेशक

संख्या 326 /उप0ख0(ईनि)-V /भू0खनि0निदेशा0 /2026-27, तददिनांकित

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, औद्योगिक विकास (खनन), उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त योजना को लागू कराये जाने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
4. समस्त स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त तिथि से पूर्व MDTSS सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के साथ वेबब्रिज एवं सी0सी0टी0वी0 कैमरा के ए0पी0आई0 को इंटीग्रेटेड करना सुनिश्चित करें।

(अनिल कुमार)  
अपर निदेशक

30/04/26